

विद्या भवन बालिका विद्या पीठ

वर्ग :- पंचम दिनांक :- 27.11.20

विषय :- सी,सी,ए

विषय शिक्षक :- प्रज्ञा

आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे

संप्रभु भारत की सभी अधिकार और शक्तियों का स्रोत जनता को बनाया गया। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। इसके निर्माण के समय मूल **संविधान** में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में बंटे थे और इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय **संविधान** 26 जनवरी, 1950 से प्रभाव में आया।